न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प कोलीवाड़ा, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 316/2008
दायर तिथि– 05.09.2008
तारीख फैसला– 09.05.2018

वादी–	बनामः	प्रतिवादी–
बहादुरसिंह पुत्र देवीसिंह, आयु 52 वर्ष जाति राजपुत, निवासी–उषापुरी गेट तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)		राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट, 1955

–:निर्णयः–

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

(1) वादी द्वारा चह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत इस आश्य का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा जाखोडा पटवार क्षैत्र कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रसत कृषि भूमि खसरा नं. 305 व खसरा नं. 353 मीन 3 रकबा कमश 0.22, 0.36 हैक्टर नहरी प्रथम आयी हुयी है जिस पर वादी की पुश्तैनी व नियमन सुदा कब्जे काश्त की आयी हुई स्थित है, मौके पर वर्ष 1955 से अर्थात वादीगण के पूर्वजों काल से वादी का कब्जाकाश्त चला रहा है परन्तु आज तक वादी को खातेदार दर्ज नहीं किया है तथा प्रतिवादी द्वारा वादी के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करके जुर्माना वसूला जा रहा है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार व डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित करावे व प्रतिवादी किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करावे।

(2) हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन व विचारण किया तथा साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का भी सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। प्रतिवादी पैरोकार ने लिखित बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि रेकर्ड में सिवायचक बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है व जाखेडा नगरपालिका सुमेरपुर के पैराफेरी परिधीय क्षेत्र में होने से आवंटन/नियमन या खातेदारी देना विधिसम्मत नहीं है, इसलिए वादी का यह वादपत्र खारिज फरमावे। वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में बहस के दौरान जाहिर किया कि वादग्रस्त भमि पर वादी व उनके पूर्वजों का संवत् 2035 से निरनतर कब्जा काश्त चला आ रहा है व सरकार द्वारा नियमन सुदा है। अतः खातेदारी अधिकार प्रदान करावे, पैराफेरी एरिया होना किसी प्रकार का बाधक नहीं है। भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है, वादी को वादग्रस्त भूमि नियमन होने या इस पर पुश्तैनी पुराना कब्जा काश्त होने जैसा ऐसा कोई प्रामाणिक प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया है, इसके अलावा वादग्रस्त भूमि ग्राम जाखोडा में स्थित होने से सुमेरपुर पालिका क्षेत्र के पैराफेरी परिधीय सीमा में स्थित है। फलतः उल्लेखित तथ्यों के आधार पर हमारे विधिक मतानुसार वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

कानूनन किसी प्रकार से खातेदारी या स्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार नहीं बनता है। वादी का कथित वादपत्र काबिल खारिज योग्य है।

अतः परिणामतः वादी का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के सरहद मौजा जाखोडा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 305 व खसरा नं. 353 मीन 3 रकबा कमश 0.22, 0.36 हैक्टर से संबंधित खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रथमतः परिपोषणिय व चलने योग्य नहीं होने से इसे खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को अदालत न्यायालय कोलीवाड़ा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

सुमेरपुर, जिला-पाली

[redacted] :-

Scanned by CamScanner